



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

वाद संख्या – 18 / 2016

लखा मीणा बनाम खेमराज वगै.

अन्तर्गत धारा 53,88,188,209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम136 भू.राज.अधि.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.05.2018	<p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट पारा में पेश हुई । प्रतिवादी स. 1 उपस्थित है जिसने अवगत कराया कि वादी पूर्व दिनांक 29.6.2016 से पूर्व फोट हो चुका है। जो पूर्व आदेशिका दिनांक 26.6.2016 में वर्णन है तत्पश्चात वादी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु 17 बार मौके दिये गये किन्तु वादी के वारिसान ने अन्तर्गत धारा 22(3) का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है न ही वारिसान का पावर पेश हुआ है। नियमानुसार मृतक के वारिसान द्वारा 90 दिन की अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर दावा अबेट माना जाता है। लिहाजा कायम मुकाम हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं होने से वादी का दावा अबेट हो चुका है। अतः वादी का दावा अबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी केकडी</p>	